राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1470/2016/हनुमानगढ

मैसर्स गणेश ट्रेडिंग कम्पनी,
संगरिया, हनुमानगढ।

.....अपीलार्थी

बनाम्

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, भीलवाडा।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :
श्री वी.के.गर्ग,
अभिभाषक।

.....अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से

श्री अनिल पोकरणा,
उपराजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 08/09/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 64/आरवेट/हनुमानगढ/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 21.01.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलीय अधिकारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, भीलवाडा (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.03.2015 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत् आरोपित शास्ति राशि रूपये 3,24,968/– को यथावत् रखा है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–तृतीय, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर (जिसे आगे **"जांच अधिकारी"** का जायेगा) द्वारा दिनांक 21.03.2015 को वाहन संख्या आरजे–23 जीए–6463 को चितौड रोड पर चैक किया गया। वक्त जांच वाहन में बिनौला तेल परिवहनित किया जा रहा था। वक्त जांच वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा माल का परिवहन जयपुर से फतेहनगर (उदयपुर) किया जाना बताया गया। जांच अधिकारी द्वारा मांगने पर वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेज यथा मैसर्स गणेश ट्रेडिंग कम्पनी, संगरिया का वैट इनवाईस एवं मैसर्स गंगा रोड लाईन्स, सिरसा की बिल्टी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन करने पर माल का परिवहन संगरिया (हनुमानगढ) से फतेहनगर किया जाना पाया गया। जांच अधिकारी द्वारा प्रथम दृष्टया माल का परिवहन करापवंचन की दृष्टि से मानते हुए अपीलार्थी व्यवहारी को अधिनियम की धारा 76(2) के तहत् कारण बताओ नोटिस जारी किया। पत्रावली जांच अधिकारी से सशक्त अधिकारी को स्थानान्तरित की गई। नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी के प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर जवाब

लगातार.....2

प्रस्तुत किया, जिससे असंतुष्ट होकर सशक्त अधिकारी शास्ति राशि रूपये 3,24,968/– का आरोपण कर दिया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील को अस्वीकार करते हुए आरोपित मांग राशि को यथावत रखा गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उनके अधिकृत अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स गुलाब गिरी प्रोडक्ट, फतेहनगर को बिनौला ऑयल का विक्रय किया गया था, तथा माल का लदान जयपुर से किया गया एवं माल का परिवहन बिल्टी संख्या 5062 दिनांक 19.03.2015 मैसर्स गंगा रोड, लाईन्स, सिरसा द्वारा जयपुर से फतेहनगर के लिए किया जा रहा था। परिवहनित माल के साथ आवश्यक सभी दस्तावेज यथा बिल, बिल्टी मौजूद थे, एवं 5 प्रतिशत की दर से वैट वसूल था। मात्र खरीद बिल दिनांक 20.03.2015 का एवं बिक्री बिल दिनांक 19.03.2015 को होने से शास्ति का आरोपण किया जाना विधिसम्मत नहीं होगा। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा माल का खरीद दिनांक 20.03.2015 को किया गया, एवं माल खरीद से एक दिन पूर्व दिनांक 19.03.2015 को माल का बेचान फतेहनगर की फर्म को कर दिया। यह एक पश्चात्वर्ती सोच का आधार है। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया।

7. रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वक्त जांच अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिनौला सीड का परिवहन जयपुर से फतेहनगर के लिए किया जा रहा था। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त परिवहनित माल की खरीद जयपुर स्थित फर्म मैसर्स सीताराम, नरेन्द्र कुमार ऑयल प्रोडक्ट से जरिये बिल संख्या 2515 दिनांक 20.03.2015 के द्वारा किया गया, परन्तु उक्त माल का बेचान फतेहनगर (उदयपुर) की फर्म मैसर्स गुलाब गिरी प्रोडक्ट को बिल संख्या 502 दिनांक 19.03.2015 को खरीद से एक दिन पूर्व ही कर दिया गया।

लगातार.....3

8. इस संदर्भ में अपीलार्थी द्वारा खरीद से एक दिन पूर्व माल के बेचान से स्पष्ट हो जाता है, कि माल का परिवहन करापवंचन की नियत से बिना बिल के किया जा रहा था, परन्तु जांच अधिकारी द्वारा परिवहनित माल की जांच किये जाने के उपरान्त **"पश्चात्वर्ती सोच"** के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिल तैयार किया गया, जो कि स्पष्ट अधिनियम की धारा 76 का उल्लंधन है। इस पर सशक्त अधिकारी ने जो शास्ति का आरोपण किया है, वह उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होने से हस्तक्षेप योग्य नही है।

9. फलतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश 21.01.2016 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

8/9/17

(मदनलाल मौलवीय)
सदस्य